न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 5/016 तारीख रजू 02.03.2016

1. मुस.किस्तुरी वेवा गोकल जाति धाकड निवासी ज्योति नगर हिण्डौनसिंटी जिला करौली

2. कमलसिंह पुत्र गोकल जाति धाकड निवासी ज्योति नगर हिण्डौनसिंटी जिला करौली

:—प्रार्थीगण

बनाम

1 मनोज कुमार पुत्र बृजमोहन जाति धाकड निवासी ज्योति नगर हिण्डौन जिला करौली

2 आयुक्त रगरपरिषद हिण्डौनसिंटी जिला करौली — अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व पट्टा विलेख बहक मनोज कुमार धाकड दिनांक 28.02.2012 कमांक 35 नगरपालिका हिण्डौनसिंटी

निर्णय दिनांक 14.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि निगरानी गुजार की ओर से अनिगरानी गुजार के खिलाफ निगारानी नगर पालिका हिण्डौन के पटटा संख्या 35 दिनांक 28.12.2012 के खिलाफ पेश कर बताया गया है कि खसरा नं. 1970 रकवा 288.96 वर्गमीटर का पटटा अप्रार्थी नं. 2 ने अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में जारी किया गया है जो गलत है यह आराजी निगरानी गुजार नं. 1 के पति व 2 के पिता गोकल के नाम खातेदारी मे दर्ज है गोकल की मृत्यु 03.11.2006 को हो चुकी है। मृतक के बारीसान की सहमती नही लेकर यह पटटा जारी किया गया है इस सम्बंध मे अन्य आराजीयो के साथ एक मुकदमा बृजमोहन बनाम छिग्गा दावा नं. 148/85 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मे विचाराधीन था इसमे पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया था राजीनामे मे बृजमोहन ने यह लिखा था की बादी उक्त आराजी से कोई सम्बंध नही रहेगा। मुताबिक राजीनामा में खसरा नं. 1970 प्रार्थी नं.1के पति व प्रार्थी नं. 2 के पिता खातेदारी मे दर्ज हो गई फिर भी इस आराजी में अप्रार्थी नं. 2 ने अप्रार्थी नं. 1 के नाम गैरकानूनी पटटा जारि किया गया पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जॉच पडताल नही की गई है। नाही मौके का सत्यापन कराया गया है। अप्रार्थी नं. 1 का कोई कब्जा नही है। निगरानी गुजार को किसी प्रकार की सुचना नही दी गई है ना ही कोई अवसर दिया गया है। अन्त में निगरानी स्वीकार करते हुए नगर पालिका हिण्डौन के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में लिया गया पटटा संख्या 35 दिनांक 28.12.2012 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव करते हुए नगरपालिका

किसी प्रकार की कोई सहमति मृतक के वारीसान की नही ली गई है। इस सम्बंध में अन्य आराजी के साथ न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन में एक बाद चला था जिसमें दिनांक 17.11.1987 को राजीनामा पेश हुआ ओर राजीनामा के अनुसार भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन हुआ इस विभाजन मे विवादित आराजी 1970 प्रार्थी के पति, पिता गोकुल के नाम खातेदारी में दर्ज हुई राजीनामा के अनुसार अप्रार्थी नं.1 का इस भूमि से कोई सम्बध नही आ रहा है फिर भी साजिस करते हुए यह पटटा विना सुनवाई विना मौका देखे हुए जारी कराया गया है। जो विधि विरूद्व है इसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने वकील निगरानी गुजार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उलब्ध रिकार्ड एवं नगरपालिका हिण्डौन से प्राप्त पटटा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया की अप्रार्थी नं.1 ने नगरपालिका हिण्डौन ने एक आवेदन पत्र आराजी खसरा नं. 1970 जिसका साविक खसरा नं. 902 है। उसकी आराजी में से अपने नाम प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 13.04.2001 के आधार पर 288.95 वर्गगज मे आवासीय पटटा चहाने को पेश किया गया उसमे नगर पालिका हिण्डौन द्वारा अपनी पत्रावली की आदेशिका में सूचना जारी करने का नोटिस अंकित किया गया है जिसमें आम खास को आपत्ति दर्ज कराने का है। यह नोटिस दिनांक 28.06. 2010 को जारी किया गया वहा पर पत्रावली का अवलोकन करने पर विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बंत 2055 से 58 में विवादित आराजी गोकुल पुत्र चौथी धाकड के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जहा पर वकील निगरानी गुजार का अपने मीमो एवं लिखित बहस में कथन था कि विवादित आराजी के साथ अन्य आराजी के सम्बंध में मुकदमा संख्या 148/85 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन में उनवानी बृजमोहन बनाम छिगा आदि का विचाराधीन होने पर दिनांक 17.11.1987 को आपसी राजीनामा होने पर विवादित आराजीयो मे से सभी पक्षगणो विभाजन के अनुसार प्रथक–प्रथक जमीन मिलकर अपनी–अपनी खातेदारी में दर्ज हो गई ओर यह विवादित आराजी गोकुल के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। जब राजीनामे मे अप्रार्थी नं. 2 के पिता ने अपने राजीनामा के कथनो में निगरानी गुजार के कथानुसार भूमि से कोई सम्बंध नही बताया गया है। तो इसका प्रतिज्ञा पत्र बाद में कैसे प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई साक्ष्य अप्रार्थी नं. 1 ने कही भी पेश नही किया गया है अप्रार्थी नं. 1 को भी इस कार्यालय से नोटिस जारी किया गया उसने तामील कुलिन्दा से लेने से मना कर दिया। नगर पालिका हिण्डौन ने विवादित आराजी का कोई मौका पत्रावली में देखना नही पाया जाता है। मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए विना खातेदार गोकुल के वारीसो को सुने ही पटटा जारी किया गया है अप्रार्थी नं. 1 न्यायालय मे ही उपस्थित नही होने पर पटटा सन्देहप्रद प्रतित हो रहा है। नगरपालिका द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व विधिक प्रकिया के अनुसार समाचार पत्रो से आम सूचना एवं मौके पर जॉच करने के उपरान्त ही किया जाना चाहिये था जो ऐसा न करके मात्र खाना पूर्ति की गई है। हम वकील निगरानी गुजार के कथनो से सहमत है।

अतः निगरानी गुजार की निगरानी खिलाफ अनिगरानीगार के स्वीकार की जाती है। नगरपालिका हिण्डौन का पटटा संख्या 35 दिनांक 28.12.2012 मनोज कुमार पुत्र बृजमोहन जाति धाकड निवासी ज्योति नगर हिण्डौन सिटी के हक का निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली आयुक्त नगरपरिषद हिण्डौन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि पक्षकारानो को विधिवत सुना जावे तथा मौके पर विधिअनुसार आस–पास के ब्यक्तियो से जानकारी करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः पटटे की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति